फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु0 जयपुर

श्रवण बनाम कौशल्या वगै0

संख्या : प्रा. पत्र 83/2020

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही		विशेष विवरण
2/11/2022	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ.उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 15, 16, 17, 24 बावजूद तामील आज भी अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी संख्या 18, 19 ने जवाब अस्थाई निषेधाज्ञा पेश नहीं कर सीधे बहस की। प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा0 पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी ने अभिवचन किया की प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 19 ने कृषि भूमि का मनबंट के आधार पर विभाजन कर रखा है और विभाजन के अनुसार उपयोग उपभोग कर रहे है। विवादित आराजी भूमि अविभाजित संयुक्त कब्जो काश्त की व सह–काश्तकारों की भूमि है जिसका विधिक विभाजन नहीं हुआ है। प्रार्थी ने कहा की अप्रार्थीगण विवादित आराजी का विभाजन किये बिना ही कृषि भूमि में झगड़ा फसाद उत्पन्न करते हैं। अतः विभाजन नहीं होने तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश फरमाये जावे तथा प्रा0 पत्र 151 खारिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या 18, 19 ने अभिवचन किया, कि हम भी विधिक विभाजन करवाने स सहमत है, पूर्व में न्यायालय द्वारा दिनांक 28.12.2020 को मौके की यथास्थिति के आदेश उभयपक्ष को बनाये रखने के दिये गये है। अप्रार्थी ने याचित किया कि एक सहखातेदार दुसरे सहखातेदार को मौके पर कृषि कार्य के लिए पाबन्द नहीं करवा सकता है। अतः अन्तरिम स्थगन आदेश खारिज किया जावे। उभय पत्रावली व दौराने बहस किये गये अभिवचनों पर मनन किया। मूल विवाद बंटवारे से संबंधित है। पक्षकारान आपस में सहखातेदार है।	

सहायक कलेक्टर
आमेर मु० जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sha
Date: 2023.01.05 14:32:59 I
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु0 जयपुर

श्रवण बनाम कौशल्या वगै0

केस संख्या : प्रा. पत्र 83/2020			विशेष विवरण
केस संख्या	दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही	
		एक खातेदार दूसरे खातेदार को कृषि भूमि की सिंचाई व मवेशियों व पीने के पानी की व्यवस्था को नहीं रोक सकता है। अतः प्रार्थना पत्र 151 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी 18, 19 को उनके हक व हिस्से तक बोरिंग करवाने व कृषि कार्य की अनुमति देते हुए उभयपक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील आमेर जयपुर के खसरा नंबर 308/558 रकबा 0.34 है0, खसरा नंबर 309 रकबा 2.50 है0, खसरा नंबर 317 रकबा 1.67 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.51 है0 में मौके व राजस्व रिकॉर्ड (कृषि कार्य अप्रभावित रहेगा) की यथास्थिति मूलवाद के निस्तारण तक बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर आमेर मु0 जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2023.01.05 14:32:59 IST
Reason: SelfAttested